प्रेस-नोट

थाना कोतवाली, जनपद झाँसी

दिनाँक- 25.12.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल चाकू बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 25.12.2025 थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मुस्तरा रोड बाबा का आटा चौकी क्षेत्र बडागांव गेट से मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 403/25 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शनी वर्मा पुत्र अशोक वर्मा निवासी सत्यम कालोनी चिरकुट का बगीचा थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभि0 सनी वर्मा उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.12.25 को समय लगभग 13.00 बजे उमेश साहू पुत्र आशाराम निवासी सत्यम कालौनी चिरकुट का बगीचा उम्र करीब 30 बर्ष की शनी वर्मा द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 403/25 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग शनी वर्मा के विरुध्द दर्ज किया गया था। घटना के दिन से अभियुक्त फरार था। गठित टीम के द्वारा अभियुक्त सनी वर्मा उपरोक्त को पुलिस हिरासत मे लेकर अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त –

- शनी वर्मा पुत्र अशोक वर्मा निवासी सत्यम कालोनी चिरकुट का बगीचा थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी- 01 आला कत्ल चाकू

पुलिस टीम का विवरणः-

1. निरी. श्री विद्यासागर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ,झाँसी।
2. निरी. श्री राजेश कुमार अवस्थी अति. निरी. थाना कोतवाली, झांसी।
3. उ0नि0 श्री दामोदर सिह चौकी प्रभारी बडागांव थाना कोतवाली, झांसी
4. का0 1890 लोकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली जनपद झांसी।
5. का0 219 विजय कुमार थाना कोतवाली जनपद झांसी।
6. का0 62 कपिल चाहर थाना कोतवाली जनपद झांसी।